समक्ष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम, इलाहाबाद।

परिवाद संख्या–427/2015

उपस्थित–श्री सुख लाल (अध्यक्ष)

श्रीमती सुमन पाण्डेय (सदस्या)

रहमत अली पुत्र स्व0 चम्मर निवासी–दायमगंज समोधीपुर, थाना– उतरांव, जनपद– इलाहाबाद।

मृतक वारिसान 1/1 श्रीमती सुखरातन 1/2 निसार अहमद 1/3 रियाज अहमद 1/4 मो0 आरिफ

––––परिवादी

बनाम

प्रबंधक/प्रोपराइटर स्पन्दन हियरिंग स्पीच सेल्यूशन, निवासी–19ए/11 कमला नेहरू रोड कंपनी बाग कालोनी (हनुमान मंदिर से आगे संगीत समिति से पहले बाये तरफ पतांजलि चिकित्सालय के पास) सिविल लाइंस इलाहाबाद।

––––– विपक्षी

<u>द्वारा–श्रीमती सुमन पाण्डेय (सदस्या)</u>

<u>निर्णय</u>

परिवादी ने यह परिवाद–पत्र विपक्षीगण के विरूद्ध उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा–12 के अन्तर्गत प्रतितोष प्राप्ति हेतु प्रस्तुत किया है।

परिवाद विपक्षी के विरूद्ध दिनांक 25/09/2017 को एकपक्षीय करार दिया जाता है।

परिवादी विपक्षी का उपभोक्ता है। परिवादी को कान से कम सुनाई पड़ता था जिसके कारण कुछ लोगों से यह चर्चा सुना की स्पन्दन में कान की मशीन बहुत अच्छी मिलती है अगर उसका उपयोग किया जाये तो सुनने से संबंधित सारा रोग खत्म हो जाता है। परिवादी विपक्षी के पास गया और अपने कान से संबंधित कमी के बारे में बताया तो विपक्षी ने यह कहा कि हमारे पास एक मशीन है जो कि 31,000/–रू0 यदि आप उसका उपयोग कर ले तो सारी बीमारी दूर हो जायेगा। परिवादी विपक्षी से दिनांक 30/04/2014 को उक्त कान की मशीन जिसका मॉडल डी0पी0–8 (13) सीरियल नं0– आर0–13963920 एल–12311589 को मुबलिग 31,000/–रू0

में खरीदा। जिसकी रशीद संलग्न है। विपक्षी उक्त मशीन देते समय 2 साल की गारण्टी कार्ड भी दिया था और यह कहा था कि यह मशीन 2 साल तक गारण्टी है तथा आपकी सारी बीमारी दूर भी हो जायेगी एवं यदि मशीन काम नहीं करती है तो या तो आप अपना पैसा वापस ले लीजियेगा या दूसरी मशीन ले जाइएगा। जिस कारण परिवादी आपकी बात पर पूर्ण विश्वास करके मशीन ले लिया। जिसकी रशीद संलग्न है। विपक्षी द्वारा दी गयी मशीन जिस दिन ली गयी उसी दिन से काम करना बंद कर दिया तथा परिवादी को किसी प्रकार की सुनने से संबंधित कोई राहत नहीं मिली, परिवादी द्वारा विपक्षी के पास जाने पर उक्त मशीन को हिला डुलाकर ले दिया गया और कहा गया कि अब मशीन काम करेगी, लेकिन मशीन काम नहीं की। परिवादी दिनांक 02/03/2015 को स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय इलाहाबाद में उक्त मशीन को दिखाया तो डॉक्टर द्वारा स्पष्ट शब्दों में यह कहा कि यह मशीन खराब है यदि इस मशीन का उपयोग करोगे तो तुम्हारे कान का पर्दा भी फट जायेगा। जिस कारण परिवादी को पूर्ण विश्वास हो गया कि विपक्षी परिवादी को धोखा देने की नियत से उक्त मशीन दिया है। डॉक्टर द्वारा दिखाया गया पर्चा संलग्न है। विपक्षी के उक्त कृत्य से परिवादी को काफी मानसिक, शारीरिक क्षति हुई तथा परिवादी को आपके कृत्य से काफी बीमारियों का सामना करना पड़ा।

हमारे द्वारा परिवाद सुना गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया तदोपरांत पाया गया कि परिवादी विपक्षी का सद्भावी उपभोक्ता है। परिवादी को कान से कम सुनाई पड़ता था जिसके कारण कुछ लोगों से यह चर्चा सुना की स्पन्दन में कान की मशीन बहुत अच्छी मिलती है अगर उसका उपयोग किया जाये तो सुनने से संबंधित सारा रोग खत्म हो जाता है। परिवादी विपक्षी के पास गया और अपने कान से संबंधित कमी के बारे में बताया तो विपक्षी ने यह कहा कि हमारे पास एक मशीन है जो कि 31,000/–रू0 यदि आप उसका उपयोग कर ले तो सारी बीमारी दूर हो जायेगा। परिवादी विपक्षी से दिनांक 30/04/2014 को उक्त कान की मशीन क्रय किया। विपक्षी उक्त मशीन देते समय 2 साल की गारण्टी कार्ड भी दिया था और यह कहा था कि यह मशीन 2 साल तक गारण्टी है तथा आपकी सारी बीमारी दूर भी हो जायेगी एवं यदि मशीन काम नहीं करती है तो या तो आप अपना पैसा वापस ले लीजियेगा या दूसरी मशीन ले जाइये।

विपक्षी द्वारा दी गयी मशीन जिस दिन ली गयी उसी दिन से काम करना बंद कर दिया तथा परिवादी को किसी प्रकार की सुनने से संबंधित कोई राहत नहीं मिली, परिवादी दिनांक 02/03/2015 को स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय इलाहाबाद में उक्त मशीन को दिखाया तो डॉक्टर द्वारा स्पष्ट शब्दों में यह कहा कि यह मशीन खराब है यदि इस मशीन का उपयोग करोगे तो तुम्हारे कान का पर्दा भी फट जायेगा। परिवादी ने वारण्टी अवधि में खराब मशीन को न तो बदला और न ही धन वापस किया जो कि सेवा में कमी है। अतः विपक्षी से परिवादी को पुरानी व खराब मशीन के बदले नई मशीन अथवा उक्त मशीन का मूल्य दिला देना उचित व न्यायसंगत होगा। परिवादी का परिवाद स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद निम्नांकित रूप से स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वे 1 माह के अंदर द्वारा परिवादी से पुरानी व खराब मशीन वापस लेकर उसे नई मशीन दें अथवा उक्त मशीन का मूल्य 31,000/–रू0 मय 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दावा प्रस्तुतीकरण से संतुष्टिकरण तक अदा करें। परिवादी विपक्षी से मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में 1000/–रू0 व वादव्यय के रूप में 1000/–रू0 पाने का अधिकारी होगा।

सुमन पाण्डेय
11.1.018
(सुमन पाण्डेय)
सदस्या

(सुख लाल) 11/01/18
अध्यक्ष